कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, पाँचवी मंजिल, भोपाल

क्रमांक 1081 /211/आउशि/अनु.ब./18 भोपाल, दिनांक 26/5/2018

प्रति,

1. **प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी**
शासकीय अग्रणी विज्ञान महाविद्यालय
रीवा (म.प्र.)

2. **प्राचार्य,**
अनुदान प्राप्त अशासकीय जनता महाविद्यालय
रीवा (म.प्र.)

विषयः– पीएचडी वेतनवृद्धि का लाभ एवं एरियर्स का भुगतान हेतु बजट आवंटत बावत–याचिका कमांक 1161/2016 एवं अवमानना याचिका कमांक 832/2018 (डॉ.राम मनोज द्विवेदी,सहायक प्राध्यापक,संस्कृत,जनता महाविद्यालय,रीवा) ।

संदर्भः– 1.अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा का पत्र क. 828 दिनांक 16.4.18 एवं क. 1069 दिनांक 17.5.18।
2.प्राचार्य,जनता महावि.रीवा का पत्र कमांक 1065 दिनांक 6.11.17 ।

-----0------

उपर्युक्त विषयान्तर्गत पीएचडी उपाधि के फलस्वरूप तीन अग्रिम वेतनवृद्धि के लाभ एवं एरियर्स भुगतान करने हेतु डॉ.राम मनोज द्विवेदी,सहायक प्राध्यापक,संस्कृत,जनता महावि.रीवा द्वारा दायर याचिका कमांक डब्ल्यू.पी.11611/16 में पारित निर्णय दिनांक 13.9.2017 एवं अवमानना याचिका कमांक 832/2018 के निर्णय दिनांक 16.3.018 के अनुकम में उक्त संदर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त एरियर पत्रक एवं मांग की राशि के अनुसार डॉ.राम मनोज द्विवेदी,सहायक प्राध्यापक को भुगतान करने हेतु राशि **रूपये 2,41,315/–(रूपये दो लाख इक्तालिस हजार तीन सौ पन्द्रह मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. शैक्षणिक अधिकारियों को शत–प्रतिशत अनुदान भुगतान एंव महाविद्यालय के संपूर्ण स्टाफ के वेतननिर्धारण, सेवा–पुस्तिका में वेतन नियमन की प्रविष्टियों के संबंध में शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि आहरण करने वाली राशि से संबंधित वेतनमान संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा, ग्वालियर के अधिनस्थ, संभागीय संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक म.प्र. द्वारा अनुमोदित हो।

3. आवंटित राशि से केवल अनुदान हेतु तत्कालीन म.प्र. उच्च शिक्षा अनुदान आयोग/शासन द्वारा स्वीकृत, अनुमोदित एवं मान्य पदों पर की गई नियुक्तियों पर कार्यरत् शिक्षकों/कर्मचारियों को देय राशि का ही आहरण किया जावे।

4. आवंटित राशि से केवल ऐरियर का ही भुगतान किया जावे, अन्य किसी भी राशि का भुगतान स्वीकृति आदेश के बिना न किया जावे।

5. अनुदान प्राप्त अशासकीय संगीत महाविद्यालय के शैक्षणिक अमले एवं अशैक्षणिक अमले को छठवां गैर यू.जी.सी. वेतनमान में उपरोक्त आदेशों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करें।

6. उक्त आवंटित राशि से सम्बंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिए इनके विवेकानुसार जॉच हेतु खुले रहेंगे।

7. उपरोक्त आवंटित राशि से यदि किसी को अनियमित भुगतान किया जाता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधक वर्ग/प्राचार्य/अनुदान प्राप्त महाविद्यालय एंव शिक्षा अधिकारी की होगी।

8. आवंटित राशि का व्यय, बजट शीर्ष 44–2202–03–104–3444–0101–42–002 वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंतर्गत विकलनीय होगा। उक्त बजट आवंटन राशि शा0 विज्ञान महावि. रीवा के डी.डी. ओ. कोड 3203802007 पर आयुक्त, कोष एवं लेखा के सर्वर पर प्रविष्ट है।

9. दिनांक 01.04.2000 के पश्चात् नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी तथा दिनांक 23.01.2003 के पश्चात् अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी को एरियर्स का भुगतान उक्त आवंटन में से नहीं किया जावे।

10. प्रकरण में मान.न्यायालय में अपील दायर करने की कार्यवाही विचाराधीन है । अतः उक्त किया जाने वाला भुगतान दायर की जाने वाली अपील में होने वाले निर्णय के अध्याधीन रहेगा ।

<u>आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित।</u>

25/5/18

(डॉ0 सुषमा दुबे)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

निरंतर....2

पृ.क्रमांक 1082/211/आउशि/अनु.ब./18 भोपाल, दिनांक 26/5/2018

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, उच्च शिक्षा की ओर अवगतार्थ।
2. महालेखाकार, म.प्र.ग्वालियर।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा,रीवा संभाग,रीवा म.प्र.।
6. संबंधित कोषालय/उप कोषालय अधिकारी, म.प्र.।
7. वि.क.अ.(न्याया.प्रकोष्ठ),कार्या.आयुक्त,उच्च शिक्षा,म.प्र.,भोपाल ।
8. प्रभारी अधिकारी,आई.टी.कक्ष,उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
9. संबंधित अधिकारी ।

(डॉ0 सुषमा दुबे)
अपर संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश